2016 को पारित निर्णय को रखा गया, उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होने पर अप्रार्थीगण द्वारा अपील माननीय सैशन न्यायाधीश झालावाड़ के यंहा प्रस्तुत करने पर माननीय सैशन न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई एंव निस्तारण हेतु उत्तरोंत्तर क्रम में माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश (एन. डी.पी.एस.) एवं अपर सेशन न्यायाधीश झालावाड़ को अन्तरित करने पर माननीय न्यायालय ने दाण्डिक अपील संख्या (1)83/17, (2)84/17 (3)85/17 (4)86/17, (5)87/17, (6)88/17, (7)89/17, (8)90/17, (9)97/17, (10)99/17 में बाद सुनवाई अपील आंशिक स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 13.04.2018 से न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2017 को अपास्त कर प्रकरण पुनः अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 के दृष्टिगत उभय पक्ष को सुनकर विधि अनुसार पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

प्रकरण माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) एवं अपर सेशन न्यायाधीश झालावाड से प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया, व प्रकरण में सुनवाई की गई। दौराने सुनवाई प्रकरण में माननीय न्यायालय एनडीपीएस द्वारा पारित आदेश की पालना में अतिरिक्त रूप से संयोजित पक्षकारों के अभिभाषक अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाने पर उनके द्वारा दिनांक 15.01.2019 को जवाब प्रस्तुत नही करने बाबत अनुरोध किया जाने पर प्रकरण में बहस सुनी गई ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया गया कि दिनांक 24.10.2015 को दाल दलहन के अवैध भण्डारण की बिना आर.टी.ए.एल. लाईसेन्स के जमाखोरी की सूचना मिलने पर पचपहाड़ तहसील में भवानीमण्डी डग रोड़ पर स्थित लालावत वेयर हाउस पर जांच करने पर वेयर हाउस में 578 बोरी साबुत उडद(537.85 क्विंटल लगभग) रखा हुआ पाया गया था। उक्त उडद के बाबत कोई कोई रेकार्ड तत्समय उपलब्ध नही करवाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में जो खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की गई हैं उसमें सं0 2071 व 2072 में उनके हिस्से की आराजी के जितने रकबे में उडद बोई गई है उसके जमाबन्दी व गिरदावरी के रकबे अनुसार जिन्सवार कुल उत्पादन ही 280 क्विंटल लगभग होता है जबकि जो उडद जब्त की गई है वह 537 क्वि0 लगभग है। वेयर हाउस में श्रीमति गणेश बाई पाटीदार पत्नी श्री बद्रीलाल द्वारा बिना आर.टी.ए.एल. लाईसेन्स के 578 बोरी साबुत उडद(537.85 क्विंटल लगभग) स्टॉक रखकर राजस्थान व्यापारिक वस्तु(अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश,1980 के खण्ड 18 के उपखण्ड ।। की स्पष्ट अवहेलना की है। जब्त उडद राजसात किया जावे।

इस पर अभिभाषक अप्रार्थी क्रमांक 01 द्वारा व्यक्त किया गया कि वर्णित उडद काश्तकारों की थी जो उनके द्वारा अप्रार्थिया के वेयर हाउस में उचित बाजार भाव के इन्तजार में रखी गयी थी। अप्रार्थिया की स्थिति मात्र ट्रस्टी की है। मात्र कयास के आधार पर एंव आर.टी.ए. एल. नम्बर नही होने से अप्रार्थिया को जप्त उडद का स्वामी नही माना जा सकता। अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 अनुसार भी धारा 3 राजस्थान ट्रेड आर्टिकल टू लाईसेन्स एण्ड कन्ट्रोल (आर्डर 1980 में संशोधन किया गया है कि '' प्रोवाईड आलसो देट डीलर एण्ड प्रोडयूसर ऑफ पल्सेस शेल ओबटेन ए लाईसेन्स विदईन फिफटीन डेज ऑफ कामन्समेन्ट ऑफ दिस आर्डर'' यह अवधि भी 4 नवम्बर 15 को पूर्ण होती है। प्रा0पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे। तदुपरान्त अभिभाषक अप्रार्थी क्रमांक 2 लगायत 10 द्वारा व्यक्त किया गया कि जब्त उडद अप्रार्थीगण 2 लगायत 10 की स्वंय की कृषि भूमि पर उत्पादित है उक्त उडद ललावत वेयर हाउस में रखी गई थी जिसकी रसीद भी प्रस्तुत की गई है, जिसके लिये आर.टी.ए.एल के तहत लाईसेन्स लेने की आवश्यकता नही है। जब्त उडद के निस्तारण से प्राप्त राशि को वापस लोटा दिया जावे ।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अभिभाषक अप्रार्थीगण का मुख्य कथन है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.10.2015 को जो अधिसूचना जारी कि गई थी उसके अनुसार अधिकतम भण्डारण मात्राएं एव दालों की आवर्तन(टर्न ओवर) अवधि तय की गई थी अप्रार्थी 1 मात्र ट्रस्टी है अप्रार्थीगण 02 लगायत 10 कृषक हैं जिनके द्वारा अपनी स्वंय की कृषि भूमि पर उक्त उडद को उत्पादित किया गया था जो उनके द्वारा अप्रार्थिया के वेयर हाउस में उचित बाजार भाव के इन्तजार में रखी गयी थी। पत्रावली

जिला कलक्टर
झालावाड़

के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि तत्समय जो कार्यवाही की गई थी वह राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 20.10.2015 को जारी अधिसूचना की पालना में की गई थी व उक्त कार्यवाही में 578 बोरी (537.85 क्विंटल लगभग) स्टाक साबुत उडद का बिना किसी आर.टी.ए.एल लाईसेन्स के मिलना व दौराने कार्यवाही उनके द्वारा कोई रेकार्ड उपलब्ध ना कराया जाना विधि अनुरूप नही कहा जा सकता। राज्य सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 में स्पष्ट व विस्तृत रूप से इस बाबत व्याख्या की गई है। अप्रार्थिया का यह कृत्य दाल दलहन का एक निश्चित सीमा से अधिक अवैध जमाखोरी कर बाजार में कत्रिम मन्दी उत्पन्न कर उक्त उडद को उंचे बाजार मूल्य पर बेचा जाकर मुनाफा कमाने में सहयोग प्रदान करने की श्रेणी में आता है, इस प्रकार राजस्थान व्यापारिक वस्तु(अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश,1980 के खण्ड 18 के उपखण्ड ।। की स्पष्ट अवहेलना होना साबित है । इसी प्रकार जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 04.01.2016 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से अप्रार्थी सं0 2 लगायत 10 द्वारा उनके हिस्से की आराजी सं0 2071 व 2072 की जमाबन्दी व गिरदावरी के रकबे अनुसार जिन्सवार कुल उत्पादन ही 280 क्विंटल लगभग होना भी साबित है जबकि जो उडद जब्त की गई है वह 537 क्वि0 लगभग है। इस प्रकार अप्रार्थी क0 2 लगायत 10 द्वारा जो तथाकथित उडद स्वंय का बताया जा रहा है वह उनका स्वंय द्वारा उत्पादित उडद से अत्यधिक है जो अवैध जमाखोरी कर बाजार में कत्रिम मन्दी उत्पन्न कर उक्त उडद को उंचे बाजार मूल्य पर बेचा जाकर मुनाफा कमाने की श्रेणी में आता है। इस कम में अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है " A licensee,who himself is a producer of whole pulses,shall separately show the stock of his own produce in the stock register,if such stocks are stored in his business premises." इस प्रकार अप्रार्थीगण को आर.टी.ए.एल के तहत लाईसेन्स प्राप्त किया जाना तो आवश्यक था। किन्तु प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20. 10.2015 को जारी अधिसूचना अनुसार भी धारा 3 राजस्थान ट्रेड आर्टिकल टू लाईसेन्स एण्ड कन्ट्रोल (आर्डर 1980 में संशोधन किया गया है कि " प्रोवाईड आलसो देट डीलर एण्ड प्रोडयूसर ऑफ पल्सेस शेल ओबटेन ए लाईसेन्स विदईन फिफटीन डेज ऑफ कामन्समेन्ट ऑफ दिस आर्डर" उक्तानुसार अप्रार्थीगण को 15 दिवस अर्थात 4 नवम्बर 15 तक लाईसेन्स लिया जाना आवश्यक था व उक्त 15 दिवस की अवधि पश्चात कार्यवाही सम्पादित किया जाना विधिसम्मत होता, किन्तु तत्समय किन परीस्थितिवश उक्त 15 दिवस की अवधि पूर्व ही उक्त कार्यवाही की गई इस बाबत वर्तमान में किसी भी तरह की टिप्पणी किया जाना हमारे विनम्र मत में उचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्तानुसार राज्य सरकार की दिनांक 20.10.2015 को जारी अधिसूचना के आलोक में 15 दिवस की अवधि पूर्ण होने से पूर्व की गई कार्यवाही को विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता, उपरोक्त विवेचन से न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में 187/प्रा0पत्र/16 निर्णय दिनांकः 04.09.2017 को पारित निर्णय अपास्त किया जाता है व जब्त उडद के अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जिसको अमानत मद से हटाकर राजकोष में जमा कराई गई थी को विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार लोटाने का आदेश दिया जाता है । प्रकरण नम्बर से कम हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़

निर्णय बईजलास सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 61/प्रा0पत्र/18

उनवान

राज0सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय हाजा,झालावाड़

बनाम

01. श्रीमति गणेशबाई पाटीदार पत्नी श्री बद्रीलाल पाटीदार
मिश्रोली,गारगाखेड़ी मोहल्ला,तहसील पचपहाड़
फर्म का नामः– लालावत वेयर हाउस ख0न0199/2
स्टेट हाईवे 99 भवानीमण्डी,डग रोड़ तहसील पचपहाड़
02. रामनारायण आ0 जीवराज, देवीलाल आ0 रामनारायण, अनिल आ0 रामनारायण जाति पाटीदार नि0 कोटला बुजुर्ग तहसील गरोठ जिला मन्दसोर म0प्र0
03. चेनराम आ0 रामदयाल पाटीदार नि0 कोटला बुजर्ग तहसील गरोठ जिला मन्दसोर म0प्र0
04. नाथूसिंह आ0 बनेसिंह राजपूत नि0 कूंडला प्रताप तहसील पिडावा
05. बालसिंह आ0 देवीसिंह राजपूत नि0 कूंडला प्रताप तहसील पिड़ावा
06. दिनेश आ0 पूरीलाल पाटीदार नि0 कूंडला प्रताप तहसील पिड़ावा
07. दिनेश आ0 रामकल्याण पाटीदार नि0 कूंडला प्रताप तहसील पिड़ावा
08. भगतराम आ0 धन्ना पाटीदार नि0 कूंडला प्रताप तहसील पिड़ावा
09. अमरसिंह आ0 रामनिवास पाटीदार नि0 कूंडला प्रताप तहसील पिड़ावा
10. प्रभूलाल आ0 औंकार लाल,रमेश आ0 प्रभूलाल पाटीदार नि0 कोटला बुजर्ग तहसील गरोठ जिला मन्दसोर म0प्र0

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्त 578 बोरी साबुत उडद(537.85 क्विंटल लगभग) को राजसात करने एवं अन्तरिम निस्तारण करने बाबत।

उपस्थितः– पेरोकार रसद
श्री विजय जैन अभिभाषक अप्रार्थी क्रमांक 1
श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक अप्रार्थी क्रमांक 2 लगायत 10

–: निर्णय :– दिनांकः 19.06.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा में प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 52/प्रा0पत्र/16 में बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 25.07.2016 पारित किया जाकर जब्त साबुत उडद के अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि को राजसात कर राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये गये थे, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा अपील माननीय सैशन न्यायाधीश झालावाड़ के यंहा प्रस्तुत करने पर माननीय सैशन न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई एंव निस्तारण हेतु उत्तरोंत्तर क्रम में माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) एवं अपर सेशन न्यायाधीश झालावाड़ को अन्तरित करने पर माननीय न्यायालय ने दाण्डिक अपील संख्या (1)101/2016, (2)27/2016 (3)28/2016 (4)29/2016, (5)30/2016, (6)31/2016, (7)32/2016, (8)33/2016, (9)34/2016, (10)35/2016 में बाद सुनवाई अपील आंशिक स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 29.09.2016 से न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2016 को अपास्त कर प्रकरण पुनः तथ्यों एंव परिस्थितियों के अनुरूप उभय पक्ष को समुचित सबूत एंव सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। तत्पश्चात प्रकरण प्राप्त होने पर न्यायालय हाजा में 187/प्रा0पत्र/16 पर दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई दिनांक 04.09.2017 को अपने निर्णय में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 52/प्रा0पत्र/16 में दिनांक 25.07.

जिला कलक्टर
झालावाड़